कानून के दरवाजे पर दस्तक

डा. प्रेमलता

कुछ भी पाने के लिए मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। कानून लागू करवाने के लिए, अदालतों के रास्ते पर चलने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। उसमें काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है। जब अपने हक़ के लिए लड़ने की सोचें तो उस लड़ाई के लिए अपने को पूरी तरह तैयार करें। अपने अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करना होगा। इरादा पक्का हो तो जीत निश्चय ही आपकी होगी। छोटी-मोटी हार से निराश न हों। दिक्कतों का सामना सूझ-बूझ से करें।

आज समाज में औरतों के अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरुकता आ गई है। इसमें महिला संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई संस्थाएं निःशुल्क क़ानूनी सहायता देती हैं और छोटे-बड़े मामले आपसी समझौते से भी निपटाती हैं।

एक बार अदालत में केस जाने के बाद कम से कम दो साल लगना मामूली बात है। पर इससे हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। बल्कि सारे सबूत जुटाकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इससे न्याय भी मिलेगा और देरी से भी बचा जा सकता है। किसी भी अपराधी को सज़ा दिलवाने के लिए सबूतों का होना ज़रूरी है। अदालत के हाथ भी कुछ नियमों से बंधे हैं।

आर्थिक प्रबंध ज़रूरी

अदालत की ओर कदम बढ़ाते समय पहला काम अपने लिए काम ढूंढने का करना होगा। मेहनत से कमाई करने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। अपना धंधा चलाने के लिए बैंक से कर्ज़ मिल सकता है। सामाजिक और महिला संस्थाएं भी मदद करती हैं। निःशुल्क क़ानूनी सहायता भी मिल सकती है।

सही जानकारी

अक्सर औरतों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस बात के जवाब में क्या कहना चाहिए। बहकाकर उनसे कुछ भी कहलवा लिया जाता है और दूसरा पक्ष बेईमानी से जीत जाता है। एक मामले में पत्नी को बहकाकर ऐसे दस्तावेज़ पर दस्तख़त करवा लिए जिसमें लिखा था कि उसकी आमदनी 500 रु. प्रति माह है और उसका पति कुछ नहीं कमाता। उसे बताया गया था कि पति उसे 500 रु. प्रतिमाह देने का वादा कर रहा है। इसलिए कभी भी बिना समझे और बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर न तो हस्ताक्षर करें और न ही अंगूठा लगाएं।

एक केस में पति ने पत्नी के पढ़े-लिखे न होने का फायदा उठाकर "आपसी राय से तलाक" के आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और चुपचाप तलाक़ ले लिया। इस तरह का आवेदन अदालत में देने से 6 महीने में तलाक मिल जाता है और कोई सबूत नहीं चाहिए होता है। इस तरह के धोखों से सावधान रहें।

बच्चे की 'कस्टडी' का सवाल

पति-पत्नी के अलग होने पर बच्चों का सवाल उठता है। अगर पत्नी बच्चे का अधिकार चाहती है तो उसे साबित करना होगा कि बच्चा उसके पास खुश रहेगा। यह ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की भलाई पैसा अधिक होने से हो जाती है। बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार, उसके लिए समय और ध्यान देने की है। यदि आप यह दे सकती हैं तो अदालत पति को आदेश देगी कि पैसे की कमी को वह पूरा करे। ज़रूरत यह है कि आप बयान सोच समझकर दें।

बच्चे का आपके पक्ष में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदालत में बच्चे की इच्छा पूछी जाएगी। उसकी इच्छा के विरुद्ध फैसला नहीं किया जा सकता। कानूनन 5 साल से छोटा बच्चा मां के पास रहेगा। उसके बाद वह पिता के पास रह सकता है। अतः साधारणतया कस्टडी का सवाल बच्चे की 5 साल की उम्र के बाद ही उठता है।

घर न छोड़ें

कुछ मामलों में पति का इरादा न तो पत्नी को छोड़ने का होता है, न उसे शांति से रहने देने का। कभी वह पत्नी से मायके से पैसा आदि लाने को कहेगा। कभी घर से निकाल देने की धमकी देगा। ऐसी सूरत में पत्नी "विमेन सैल" में शिकायत कर सकती है। वहां पहले दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मामला न सुलझा तो अदालती कार्यवाही की सिफ़ारिश की जाती है।

हर हालत में घबरा कर घर छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। ज़मीन जायदाद के मामले में जब हक़ की बात उठती है तब कब्ज़ा होना सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। जहां तक हो घर का कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहिए।

लेकिन अगर बात इतनी बढ़ जाए कि यातना बर्दाश्त से बाहर हो जाए और जान का खतरा महसूस हो तो ऐसा घर छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन हो सके तो सबूत ज़रूर इकट्ठे कर लेने चाहिए ताकि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें तथा अपराधी को सज़ा दिलवा सकें।

□